शेष भूमि का पता लगाना

19. श्री आनन्दी प्रसाद यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भूदान यज्ञ में समूचे राज्य में चौदह हजार एक सौ तेरह एकड़ जमीन प्राप्त हुई किन्तु सरकार इसमें साढ़े सात हजार एकड़ भूमि का ही पता लगा पाई है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष भूमि का पता लगाने के लिए कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

20. श्री अख्तरूल ईमान--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक ए०पी०एल० बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा बिहार राज्य को कुल 9163.63 हजार टन अनाज का आवंटन किया गया, जिसके विरुद्ध सरकार केवल 5206.37 हजार टन अनाज का ही उठाव कर सकी है;

(2) क्या यह बात सही है कि शत-प्रतिशत अनाज का उठाव नहीं किए जाने के कारण 3957.26 हजार टन अनाज से बिहार की गरीब जनता वंचित हो गई;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अनाज का उठाव नहीं होने के कारणों की जांच कर दोषी पर कौन-सी कार्रवाई करने का सरकार कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी पर कार्रवाई

'क' 21. श्री विक्रम कुंवर--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला कृषि पदाधिकारी, सीवान द्वारा ट्रैक्टर अनुदान मद में श्री सम्पत भगत, पिता श्री राम नरेश भगत, श्री हीरा लाल राम पिता महदेव राम, मा०-सलेमपुर महादेवा, श्री सुनील राम पिता श्री नागेन्द्र राम, सा० पकड़ी के नाम पर 3459000 (अंके-चौंतीस लाख उनसठ हजार रुपये) फर्जी हस्ताक्षर कर वर्ष 2010 में निकासी की गई है, जबकि श्री सुनील राम एवं अन्य सा० पकड़ी नाम का कोई व्यक्ति उक्त ग्राम के निवासी नहीं हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान नगर कांड सं० 51/10, दिनांक 30 मार्च, 2010 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सीवान द्वारा जांचोपरान्त पाया गया है कि जिला कृषि पदाधिकारी, सीवान द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर 345900/- रुपये की निकासी की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध अबतक कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

नोट:- 'क' गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक 1315, दिनांक 22 फरवरी, 2011 के द्वारा कृषि विभाग में स्था०।

पटना:
दिनांक 3 मार्च, 2011 (ई०)।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि०स०मु० (एल०ए०), 125-डी०टी०पी०--450